राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 194/2021 (पुराना नम्बर 150/2014)

1. जुगल किशोर पुत्र मूलचन्द जाति माली निवासी सिधांना तहसील बुहाना, झुन्झुनूं राज.

.... वादी

बनाम

1. रोहितास
2. फुलचन्द
3. बाबुलाल
4. बलबीर

} पुत्रान पीरानाराम जाति माली निवासी लाडी का बास तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं

5. भागा पुत्री मूलचन्द्र पत्नी श्रीराम जाति माली निवासी खुडाना तह0 व जिला महेन्द्रगढ
6. मुन्नी पुत्री मूलचन्द्र पत्नी सरदारमल जाति माली निवासी, नीम वाली ढाणी बगड
7. माया पुत्री मूलचन्द्र पत्नी रोहतास जाति माली निवासी, रेखा वाली ढाणी बगड
8. हरिसिंह पुत्र मूलचन्द्र जाति माली निवासी सिंधाना
9. किशोर कुमार पुत्र मूलचन्द्र जाति माली निवासी सिंधाना
10. रतनी पुत्री मूलचन्द्र पत्नी छोटू जाति माली निवासी, नीम वाली ढाणी अशोक नगर बगड
11. तहसीलदार लैण्ड होल्डर बुहाना तह0 बुहाना जिला झुझुनूं राज0
12. नोरंग पुत्र मनरूप जाति जाट निवासी ढाणा तहसील बुहाना
13. नगरपालिका खेतडी।

................**प्रतिवादीगण**

दावा– खाता विभाजन एवं घोषणात्मक

–::निर्णय::–

दिनांक 01.04.2022

(1). वादी का वाद रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम सिंधाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 480/1 रकबा 1.94 है. में हिस्सा 1. 9065 वर्गमीटर में वादी का हिस्सा ... है, ... लगाव 4 का हिस्सा 0.0335 है0, प्रतिवादी सं0 5 व 7 लगा0 9 का हि... 1.3... है. रकबा है जो इस भूमि के रिकाडेड सह खातेदार काश्तकार है जो अपने–अ... हिस्से अनुसार बिना किसी बाधा शांतिपूर्वक काबिज काश्तकार है। अर्थात भूमि के 1.9065 है. रकबा वादी का ... हिस्सा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:09:52 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

क्योकि प्रतिवादी सं0 10 रतनी देवी का हिस्सा 1/7 था जो उसने वादी के हक में दिनांक 24.03.2014 को पंजिकत हक त्याग से अपने हिस्सा त्याग कर दिया है। प्रतिवादी सं. 6 मुन्नी ने अपना हिस्सा 1/7 वादी के हक मे कर दिया है।इसलिए अब भूमि खसरा नम्बर 480/1 रकबा 1.94 है.के 1.9065 है0 रकबा में वादी का 3/7 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 5 व 7 लगा0 9 का 4/7 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 का 0.0335 है0 रकबा है। वादी सम्पूर्ण रकबा पर काबिज है। प्रतिवादी सं0 9 का 1/7 हिस्सा था जिसमें 80 व0मी0 रकबा बेचान कर दिया जिसका पट्टा प्रतिवादी सं0 11 ने प्रतिवादी सं0 13 से बनवा लिया है। इस प्रकार 0.0080 है. रकबा प्रतिवादी सं0 13 का है। प्रतिवादी सं0 9 का 0.264347 है।. रकबा है।

2. यह वादी के नाम से हक त्याग विलेख दिनांक 24.03.2014 के आधार पर अभी नामान्तकरण दर्ज नही किया गया है। तथा हक त्याग विलेख दिनांक 20.04.2016 का नामान्तकरण दर्ज दावा दायरी के बाद किया गया है। वादी का 3/7 हिस्सा होने से उसे अपने हिस्से की खातेदारी की भूमि में सुधार कार्य करने इसका अन्य उद्देश्य के लिए रूपान्तरण करवाने में भारी परेशानी हो रही है। इस लिए वादी के लिए आवश्यक है कि अपने हिस्से की घोषणा करवाये एवं अपने 3/7 हिस्सा का विभाजन करवाने योग्य है।
3. वाद वर्णित भूमि का विभाजन नहीं हुआ है। यह संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। इसलिए वादी को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि विभाजन में दिए जाने योग्य है।
4. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम रामसर, अलीपुर, पचेरी खुर्द में स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी की हदूद में है इसलिए यह दावा सुनवायी क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त है।

वाद पत्र पेश कर अनुतोश चाहा है कि –

(क). वाके ग्राम सिंधाना तह. बुहाना स्थित भूमि ख. नं. 480/1 रकबा 1.94 है0 के 1.9065 है0 रकबा में वादी को 3/7 हिस्सा का खातेदार धोषित किया जाकर प्रतिवादी 6 व 10 का नाम हजफ किया जाने की कृपा करे।

(ख). वाके ग्राम सिधांना स्थित भूमि खसरा नम्बर 480/1 रकबा 1.94 है0 के 1.9065 है. रकबा में से वादी के 3/7 हिस्सा का एवं प्रतिवादी सं0 5 एवं 7 लगा0 9 व प्रतिवादी सं0 13 का खाता विभाजन अलग से विभाजित कर तथा प्रतिवादी सं. 1 लगा0 4 के शेष रहे 0.0335 है. (335 व0मी0) का खाता विभाजन अलग से कायम कर लगान अलग से कायम कर रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने की कृपा करे।

(2). दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गयी। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल हुई। प्रतिवादी सं. 8, 9 की ओर से श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट उपस्थित। जबाब हेतु सम्यक अवसर दिया गया जबाब [illegible] नहीं हुआं। इनका पेश नही होने से जबाब बन्द किया गया। शेष प्रतिवादीगण की बावजुद सम्यक् ता[illegible] रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में ल[illegible] गई।

(3). वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज [illegible] नकल जमा[illegible] 2073, हक त्याग दिनांक 24.03.2014, हक त्या[illegible] 27.07.2015 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:09:52 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

(4). दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 28.01.2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 14.03.2022 को प्राप्त हुई ।

(5). बहस सुनी गई।

(6). पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। कुर्रेजात रिर्पोट निर्देशानुसार प्राप्त हुई है। अतः न्यायालय मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–::आदेश::–

न्यायालय वाद वादी व प्रतिदावा बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम सिंधाना तह. बुहाना स्थित भूमि ख. नं. 480/1 रकबा 1.94 है0 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 01.04.2022 को खुल न्यायालय सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:09:52 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 150/2014
निर्णय दिनांक :– 01.04.2022

जुगल किशोर **बनाम** रोहितास आदि

दावा– खाता विभाजन एवं धोषणात्मक

–:निर्णय:–

वादी की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं. 8,9 की उपस्थिती में इस वाद में आज दिनांक 01.04.2022 को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी व प्रतिदावा बाबत खाता व लगान विभाजन डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम सिंधाना तह. बुहाना स्थित भूमि ख. नं. 480/1 रकबा 1.94 है0 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "'अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **01.04.2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:09:52 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, बुहाना